1751 IV 175

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20

Rs.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND 00AA 241703

निबंधन नियम 21 के अधीन तथा छोटानागपुर टेनन्सी एक्ट 1908 की धारा 64 के अधीन [illegible] भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1 या 1 क सं ..... के अधीन यथावत स्टाम्प सहित (या स्टाम्प शुल्क से विमुक्त या स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं है

निबंधन पदाधिकारी, राँची (झारखण्ड)
3-2-06



Samar Basu Mullick

M.N. SHAH RANCHI Advocate

Samar Basu Mullick
03.02.2006

L.T.I. of Thumb Index Middle Ring Little

न्यास का स्मृति पत्र

भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत दस्तावेज

1. न्यासकर्त्ता : श्री समर बसु मल्लिक, पिता स्व0 अजीत कुमार बसु मल्लिक, मकान नं0 – 1, तीसरी गली हिन्दपीड़ी, रांची, थाना – हिन्दपीड़ी, राँची – 834001 (झारखण्ड)।

2. न्यासी : (1) डॉ0 रामदयाल मुण्डा, पिता–स्व0 गंधर्व मुण्डा,

क्रमशः 2

33259

2.2.06 समर बसु मल्लीक

रांची 3/2

20/ 100/ 20×5



Samar Bosu Mullick

L.T.I. of Samar Bosu Mullick 3/02/06

Thumb Index Middle Ring Little



Certified that the Signature Fingers Prints and Photograps are put in my Presence.
C.N. Shah.
Advocate

दिनांक 3 - 20 ई 2 - 06 बजे (पूर्वाह्न/अपराह्न) में सदर निबंधन कार्यालय, रांची लेखाकारी या लेख्यधारी अथवा किसी लेख्यधारी या लेखाकारी के मुखतार जो सन् ..... के ..... के अधीन के अवर निबंधक ..... (पद धारीजाम एवं पदनाम) के दिनांक ..... दिनांक ..... से प्राधिकृत ..... (दूत का नाम) के प्रस्तुत किया।

पिता/पति स्व. अजीत कुमार बसु

जाति

जिल्दी के लिये उपस्थापित किया।

हस्ताक्षर उपस्थापक .....

हस्ताक्षर/निबंधन पदाधिकारी, रांची (झारखण्ड)

जिला अवर निबंधक की मोहर
रांची (झारखण्ड)

2-06



झारखण्ड JHARKHAND 00AA 241702

ग्राम–हातमा, मोराबादी मैदान, रांची कॉलेज के पीछे, जिला–रांची (झारखण्ड)

(2) श्री अशोक घोष चौधरी, पिता श्री त्रिदिवेश चन्द्र घोष, निवास स्थान – 11 मंगल नगर, सहारनपुर–247001 (उ0प्र0)।

(3) श्रीमती वासवी किड़ो, पति श्री संतोष कुमार किड़ो, निवास स्थान – एच0बी0 रोड, थड़पखना, राँची (झारखण्ड)।

(4) श्रीमती सूर्यमनी भगत, पति श्री विजय भगत, निवास स्थान – ग्राम–कोटारी, पो0–बुड़मू, जिला–राँची (झारखण्ड)।

3. **लेख्य प्रकार** : न्यास

4. **न्यास का प्राथमिक कोष** : रू. 1,000/– (एक हजार रूपया) मात्र।

न्यासकर्त्ता को न्यास के संस्थापक सदस्य के रूप में माना जाएगा। ये सभी न्यासी एक ऐसा परिवर्तनीय

Suman Basu Mullick
03.02.05.

Thumb Index Middle Ring Little

क्रमशः 3

33279

2206

जिला अवर निबंधक का मोहर

रांची (झारखण्ड)

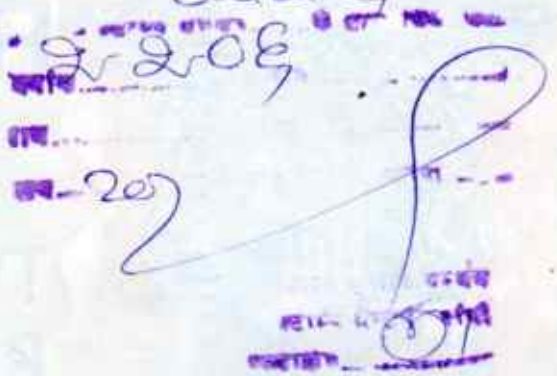



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL



झारखण्ड JHARKHAND 00AA 241701

न्यास गठित करने को इच्छुक है जिससे समाज के सभी वर्ग के लोगों को व्यापक रूप से शामिल कर खास तौर से उनकी स्थिति और जीवन स्तर को विकसित करने और आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को समृद्ध करने का प्रयास करेगें। न्यासीयों ने न्यास कोश में 1,000 रू. (एक हजार रूपया) जमा करने का निर्णय लिया है तथा उन्होंने यह भी निर्णय लिया है कि प्रथम न्यास कोष परिसम्पति को निम्नलिखित निबंधन और शर्त्तों के अनुसार संचाालित करेगें।

5. न्यास का नाम : इन्स्टीच्यूट ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट गवर्नेन्स (INSTITUTE OF COMMUNITY FOREST GOVERNANCE).

6. न्यास का निबंधित कार्यालय : इन्स्टीच्यूट ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट गवर्नेन्स मकान नं0 – 1, तीसरी गली, हिन्दपीढ़ी, राँची – 834001 (झारखण्ड)

Samar Bose Kullen
03.2.2006.

Thumb Index Middle Little Ref

क्रमशः 4




जिला अवर निबंधक की मोहर
रांची (झारखण्ड)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND 00AA 241700



[4]

संस्थापक सदस्य के निर्णय द्वारा प्रस्ताव पारित कर कार्यालय का परिवर्त्तन किया जा सकता है। जिसकी सूचना निबंधन कार्यालय को एक माह के अंदर दे दी जाएगी।

7. **न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य :**

(क) वनाश्रित समाज के लोगों को वन सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। उनको वन्यप्राणियों को शिकारियों के हाथों से बचाने के लिए संगठित करना। उनके साथ खासकर के आदिवासियों के साथ वनों का अन्योन्याश्रय सम्पर्क को बनाये रखने अथवा पुनः स्थापित करने की दिशा में प्रयत्न करना।

(ख) वनों से प्राप्त गैर लकड़ी – वनोपज पर उनका स्वामित्व बनाये रखने में उनकी मदद रखना।

(ग) गैर लकड़ी वनोपजों को सामूहिक रूप से व्यापार करने में उन्हें मदद करना, इसके लिए महिला सहकारिता समिति का गठन करना।

(घ) गैर लकड़ी वनोपजो का संग्रह, उनमें मूल्यों की वृद्धि एवं उनका व्यापार जैसे कार्य में गांव सभा का नेतृत्व को प्रतिष्ठा दिलाना।

(ङ) उपर्युक्त कार्य के लिए समय–समय पर कार्यशाला, सेमिनार, जनसभा, इत्यादि संगठित करना।

Sumar Bon Mullah 03.02.06

Middle Ring Little

क्रमशः 5



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND 00AA 241699



(च) वनों के संबंध में सरकारी नीति एवं सिद्धान्त को जनता तक पहुंचाना एवं इस कार्य के लिए न्यूज लेटर, पर्चा, पुस्तिका, विडियो, आदि का प्रकाशन करना।

(छ) वनों की सुरक्षा एवं वनोपज का व्यापार से वन निर्भर या वनाश्रित लोगों की आजीविका को सुनिश्चित करने हेतु जनता एवं राष्ट्र के बीच वार्तालाप को गति प्रदान करना।

(ज) उक्त कार्य के लिए समय–समय पर शोध, अध्ययन कार्य संगठित करना।

(झ) देशभर के सामुदायिक वन शासन में लिप्त समुदायों के बीच में सम्पर्क स्थापित करना एवं एक दूसरे के साथ ज्ञान एवं अनुभवों का निरन्तर आदान–प्रदान जारी रखने में मदद रखना।

(अ) जगत-संसार के लिए एवं जनता-जनार्दन के लिए वनों की सुरक्षा, उनकी घनत्व एवं आयतन में वृद्धि और साथ ही साथ उनकी संपोषीय व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए सभ्य समाज को सूचित करना, प्रेरित करना एवं संगठित करना।

8. न्यास उपरोक्त सभी या किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी व्यक्ति, दाता संस्था, राज्य और केंद्र सरकार जैसी नियमित सम संस्थाएं अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक और सरकारी धन देने वाली संस्थाओं के चंदा, दान, अनुदान, भेंट ऋण आदि प्राप्त कर सकती है। साथ ही दान, खरीद एवं विनिमय के द्वारा पट्टे पर या भाड़े से अन्य

Samar Bose Mullick
03.02.06.

Thumb Index Middle Ring Little

क्रमशः 6

३३२७
२-२०६

जिला अवर निबंधक का पोहर
रांची (झारखण्ड)



किसी भी प्रकार से भूमि, भवन व व्यवहार की सुविधाएं अथवा कोई अचल या चल सम्पत्ति प्राप्त कर सकती है। न्यास किसी एक या सभी उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए विधिपूर्वक व्यय करेगी।

न्यास की नियमावली

1) **शब्दों की व्याख्या :**

(क) न्यास का अर्थ 'इन्स्टीच्यूट ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट गवर्नेन्स' से होगा।

(ख) न्यास का अर्थ इन्स्टीच्यूट ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट गवर्नेन्स की कार्यकारिणी समिति से है।

(ग) पदाधिकारी का अर्थ : अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष।

2) **कार्यक्षेत्र** : इन्स्टीच्यूट ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट गवर्नेन्स का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा।

आवश्यकतानुसार कार्यक्षेत्र में परिवर्त्तन, विस्तार भी किया जा सकता है। न्यास भारत के किसी भी राज्य में कार्य करने हेतु स्वतंत्र होगा.जिसकी सूचना निबंधन महानिरीक्षक को दी जाएगी।

3) **न्यास समिति** : न्यास में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 15 सदस्य होगें। संस्थापक सदस्य प्रथम कार्यकारिणी के सदस्य होगें। न्यास कार्यकारिणी में जिन सदस्यों को जोड़ा जाएगा उनकी संख्या 5 से कम या अधिक नहीं होगी। किसी भी परिस्थिति में न्यास के सदस्यों की कुल संख्या 15 से अधिक नहीं होगी।

कार्यकारिणी की सर्वसम्मति से निम्न शर्त्तों को पूरा करने वाले व्यक्तियों को सदस्य बनाया जा सकता है :–

क) जो स्त्री या पुरूष न्यास के उद्देष्य व कार्ययोजना से सहमत हो उसे पूरा समर्थन देते हो।

ख) जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी भावना–विचारों के साथ झाड़खंडी मूल्यों विचारों पर यकीन करता हो।

ग) जो न्यास के कार्यक्रम में नियमित भाग लेता हो।

घ) जो कार्यकारिणी की सहमति से तय सदस्यता राशि 24 रू0 सालाना देता हो।

ङ) जो धन, जन, मन, तन, से न्यास की सर्वदा मदद करता हो। ज्ञानवर्द्धन के लिए योगदान करता हो।

च) जो सत्य का आचरण करता और सादा जीवन बिताता हो।

Thumb Indy Middle Kind Litt

क्रमशः 7

Samar Bose Mullick
03.02.06.



छ) जो शराब, नशा, चोरी, झूठ, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, हिंसा की भावना नहीं रखता हो।

ज) जो लैंगिक भेदभाव व हरेक तरह की गैरबराबरी के खिलाफ हो।

झ) जो अवैतनिक तौर पर 2–3 वर्षों तक संस्था के लिए सेवारत हो।

अ) जो जनहित में रूचि रखता हो।

सदस्यता समाप्ति

1) मृत्यु व मानसिक असंतुलन होने पर।

2) न्यास के उद्देश्यों, नियमों का पालन नहीं करने पर।

3) न्यास के विरूद्ध आचरण करने, काम न करने व अनुशासन भंग करने पर।

4) त्याग पत्र दे देने पर सर्वसम्मति से निर्णय होने पर।

5) न्यास की तीन बैठकों में भाग नहीं लेने पर तथा उसकी बैठक में भाग न लेने के कारणों की स्पष्टता नहीं देने पर।

4) **न्यास की सेवा अवधि** : न्यास की सेवा अवधि 3 वर्ष की होगी। अगर किसी भी कारण से सदस्यों का स्थान रिक्त होने पर न्यासकर्त्ताओं द्वारा किसी भी व्यक्ति को चयनित कर बची हुई अवधि के लिए न्यास में शामिल किया जाएगा। न्यास को कोई भी सदस्य, संस्थापक सदस्य भी अगर न्यास के उद्देश्यों के खिलाफ कार्य करता है तो न्यास से उसे निष्कासित कर दिया जाएगा. सदस्य के निष्कासन करने के पूर्व उससे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा और विशेष तौर पर इस मुद्दे के लिए बुलाई गई न्यास की बैठक में प्रस्ताव द्वारा पारित किया जाएगा.

Anwar Abbas Khokhar
03.02.06.

5) **न्यास के कार्यकलाप** : न्यास के कार्यकलापों को संचालित करने के लिए न्यास अधिकृत होगी। न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास के कोष को पूंजी के रूप में बैंक, वित्त संस्थान लिमिटेड कंपनी में लगाने का न्यास को अधिकार होगा। कार्यकर्त्ता के लिए पद का सृजन, अनुशासनिक कार्यवाही, निबंधन और सेवा से मुक्त करने का अधिकार न्यास को होगा. इसके साथ साथ न्यास के सभी

Thumb Index Middle Ring Little

क्रमशः 8



क्रियाकलापों एवं दिन प्रतिदिन के कार्यों को संचालित करने के लिए नियम कानून बनाने का अधिकार भी न्यास समिति को होगा. इसके अलावा निम्न कार्यकलाप भी न्यास समिति करेगी।

1. किसी व्यक्ति को सदस्य बनाने एवं सदस्यता से वंचित करना।
2. बैठक में प्रस्ताव पारित करना तथा उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए प्रयत्नशील रहना।
3. सचिव द्वारा कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति पर सहमति देना।
4. न्यास की अचल सम्पत्ति का उत्तरदायित्व होना।
5. समय–समय पर रिकार्ड एवं कामों की जांच करना।
6. उपकेन्द्रो, शाखा की स्थापना करना।

6) **वार्षिक बजट** : न्यास न्यास का वार्षिक बजट और लेखा जोखा पारित करेगा तथा इसके लिए लेखाधिकारी को नियुक्त करेगा।

7) **कार्यकारी पदाधिकारी** : न्यास के निम्नलिखित पदाधिकारी होगें।

(क) अध्यक्ष : राम दयाल मुण्डा।
(ख) सचिव : समर बसु मल्लिक।
(ग) कोषाध्यक्ष : श्रीमती सूर्यमणि भगत।

8) **कार्यकारी पदाधिकारी के अधिकार व कर्तव्य :**

(क) अध्यक्ष : न्यास के सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। समान मत होने पर निर्णायक मत देगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में न्यास द्वारा मनोनीत सदस्य के द्वारा अध्यक्ष का कार्य संचालित होगा। कार्यवाही पंजी में हस्ताक्षर करेगा।

(ख) सचिव : न्यास की बैठक बुलाएगा. न्यास के सभी कार्यक्रमों व गतिविधियों का प्रभारी होगा। कार्यक्रम का संचालन करेगा. न्यास समिति द्वारा स्वीकृत रिक्त पदों पर कार्यकर्त्ता नियुक्त करने एवं अनुशासनिक

Kumar Bor Hulasi
03.02.06.

Thumb Index Middle Ring Little

क्रमशः 9



कार्यवाही करने का अधिकार होगा। लेकिन इसकी स्वीकृति न्यास से लेनी होगी। सचिव अपनी जिम्मेवारी पूरा करने के लिए न्यास समिति के किसी सदस्य को अधिकृत कर सकता है। न्यास द्वारा स्वीकृत बजट व कार्यक्रम के अनुसार खर्च करेगा। न्यासीयों या अन्य व्यक्ति द्वारा न्यास के हित में उठाए गए खर्च को अदा करेगा। कार्यकारिणी की वार्षिक बैठक में लेखा–जोखा प्रस्तुत करेगा।

(ग) कोषाध्यक्ष : कोषाध्यक्ष, न्यास के वित्त व्यवस्था के नियंत्रक के रूप में कार्य करेगा। न्यास सभी प्रकार के आय–व्यय का लेखा–जोखा रखेगा।

9) बैंक खाता : न्यास को बैंक खाता खोलने का अधिकार होगा जिसका संचालन अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो व्यक्तियों के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। इन दो व्यक्तियों में सचिव का होना अनिवार्य है।

10) बैठक : न्यास की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार और अधिक से अधिक चार बार होगी। न्यास की बैठक बुलाने का अधिकार सचिव को होगा। आकस्मिक बैठक दो दिन के नोटिस पर बुलाई जा सकती है। सदस्यों की मांग पर सचिव बैठक बुलाएगा। जिसमें कम से कम पांच सदस्यों का हस्ताक्षर होगा।

11) कोरम : न्यास की बैठक में एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमें संस्थापक सदस्य उपस्थित जरूर हों। कोरम पूरा नहीं होने पर बैठक स्थगित किया जाएगी। इसके लिए कोरम जरूरी नहीं होगा।

12) नियमावली में संशोधन : न्यास को अधिकार होगा कि इस दस्तावेज के किसी भी नियम धारा को प्रस्ताव के द्वारा संशोधन करें। नियमों को सुधार व बदल कर उद्देश्यों की पूर्त्ति अनुकूल नियम बनाए जा सकते हैं।

Thumb Index Middle

क्रमशः 10



13) विघटन : न्यास को यह अधिकार होगा कि न्यास की कर्तव्यहीनता होने की स्थिति में न्यास समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित कर न्यास का विघटन कर सकती है, जिसकी पुष्टि एक माह बाद की जाएगी। न्यास के सभी देय चुकाने के बाद बने सभी सामान एवं सम्पत्ति को किसी अन्य पंजीकृत संस्था को हस्तान्तरित करे।

14) लेखा कार्य वर्ष : न्यास का लेखा–जोखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा।

15) इन्स्टीच्यूट ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट गवर्नेन्स एक गैर लाभकारी, गैर राजनीतिक, धर्मनिरपेक्ष एवं परोपकारी न्यास होगा।

गवाह :–

1. Sonika Tudu
03-02-2006

2. Alka Kujur.
03.02.2006

Samar Bose Mullick
न्यासकर्त्ता

L.T.S.dt
Thumb Index Middle Ring Little

ड्राफ्टकर्त्ता : D.N. SHAH ADVOCATE RANCHI

टंकक :



जिला अवर निबंधक का मोहर

45

निबंधन विभाग, झारखण्ड

जिला निबंधन कार्यालय, राँची

जाँच पर्चा-सह-घोषणा-प्रपत्र (नियम 114) दिनांक : 04-02-2006

Trust Settler

1. दस्तावेज का प्रकार : Samar Basu Mallick 2. प्रस्तुतकर्त्ता: Hindpiri Ranchi

3. प्रस्तुतकर्त्ता का नाम व पता : 03-02-2006 04-02-2006 24

4. लिखने की तारीख : 5. प्रस्तुत करने की तारीख : 6. कुल पृष्ठ :

7. सम्पत्ति का मूल्य : रूपये 8. मुद्रांक का मुल्य : 100 रूपये

10. पार्टी की विवरणी :

पार्टी का प्रकार	पार्टी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति	थाना	ग्राम	जिला
Settler	Samar Basu Mallick	Late Ajit Kumar Basu	Other	Hindpiri	Hindpiri Third Str	Ranchi

जिला अवर निबंधक का मोहर राँची (झारखण्ड)

शुल्क का विवरण : अनुच्छेद :- 216.00 E : 250.00 Total : 506.00

उपर्युक्त प्रविष्टियाँ दस्तावेज में अंकित तथ्यों के अनुरुप है।

Samar Basu Mallick

प्रस्तुतकर्त्ता का हस्ताक्षर

निबंधन पूर्व सारांश में इनपुट फॉर्म के अनुरूप डाटा इंट्री की गई है।

Counter06

4-2-06

डाटा इंट्री ऑपरेटर का हस्ताक्षर

उपर्युक्त समर बसु मलिक ने इस दस्तावेज के निष्पादन को मेरे समक्ष स्वीकार किया जिसकी पहचान अलेक्टर बोदरा पिता नयानियल बोदरा निवासी हिंदपिड़ी IIIrd Street पेशा खेती ने की।

Alistair Bodra

4/2


जिला अवर निबंधक का कार्यालय
रांची (झारखण्ड)

निबंधन विभाग, झारखंड
राँची (झारखण्ड)

Date: 04/02/2006

Token No.:45
Serial No./Deed No./Year : 1751/175/2006
Document Type : TRUST

Role	Name & Address	Father/Husband Name	Occupation	Photograph	Thumb
Identifier	Aleshther Bodra Vill. - Hindpiri Dist. - Ranchi State - Jharkhand	Nathnial Bodra	Farmer		
Settler	Samar Basu Mallick Vill. - Hindpiri Third Stree Dist. - Ranchi State - Jharkhand	Late Ajit Kumar Basu			

निबंधित
पुस्तक संख्या IV
जिल्द संख्या 5
पृष्ठ संख्या 168से 191
दस्तावेज संख्या 175
वर्ष 2006
दिनांक 04/02/2006

जिला अवर निबंधक, राँची (झारखण्ड)

1084 R 128

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

01AA 763873



ATTESTED

Advocate

M.N. SHAH RANCHI Advocate

Samar Bosu Mullick

21.01.2008

आज दिनांक 21.01.2008 को न्यास स्मृति पत्र पर इस प्रकार संशोधन किया जाता है।

1. **न्यासकर्त्ता** : **श्री समर बसु मल्लिक,** पिता स्व0 अजीत कुमार बसु मल्लिक, मकान नं0 – 1, तीसरी गली हिन्दपीड़ी, रांची, थाना – हिन्दपीड़ी, राँची – 834001 (झारखण्ड)।

2. **न्यासी** : (1) **डॉ0 रामदयाल मुण्डा,** पिता–स्व0 गंधर्व मुण्डा, ग्राम–हातमा, मोराबादी मैदान, रांची कॉलेज के पीछे, जिला–रांची (झारखण्ड)।

Samar Bosu Mullick

क्रमशः 2



ATTESTED

Advocate

Samar Bora Mullick
21.01.2008

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL



झारखण्ड JHARKHAND

01AA 763872

(2)

(2) **श्री अशोक घोष चौधरी,** पिता श्री त्रिदिवेश चन्द्र घोष, निवास स्थान–11, मंगल नगर, सहारनपुर – 247001 (उ0प्र0)। वर्तमान - बी/2 अभिलाषा एपार्टमेन्ट, पुरुलीया रोड, राँची।

(3) **श्रीमती वासवी किड़ो,** पति श्री संतोष कुमार किड़ो, निवास स्थान –एच0बी0 रोड, थड़पखना, राँची (झारखण्ड)।

(4) **श्रीमती सूर्यमनी भगत,** पति श्री विजय भगत, निवास स्थान – ग्राम–कोटारी, पो0–बुड़मू, जिला–राँची (झारखण्ड)।

Samar Bose Mullick
21.01.08

3. लेख्य प्रकार : न्यास पत्र में संशोधन।

क्रमशः 3

३०८३

29.9.08

20

07

निबंधक का मोहर



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

01AA 763871



(3)

संदर्भ

दिनांक 04.02.2006 को जिला अवर निबंधक रांची के कार्यालय में एक न्यास का स्मृति पत्र निबंधन किया गया था। जिसका बुक नं0–IV 175, है जो पुस्तक संख्या – IV, जिल्द संख्या – 5, पृष्ठ संख्या – 168 से 191, दस्तावेज संख्या 175 वर्ष 2006 में दर्ज है। उक्त न्यास के वर्तमान स्मृति पत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जा रहा है।

1. न्यास के लक्ष्य एवं उद्देश्य में निम्नलिखित बिन्दुओं को जोड़ा जाए –

   (क) सर्वोपरि, वनाश्रित समुदायों को गरीबी, अशिक्षा, बीमारी एवं बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने के लिए यथासंभव प्रयास करना।

2. न्यास के सभी देय चुकाने के बाद बने सभी सामान एवं सम्पत्ति को किसी अन्य पंजीकृत संस्था को हस्तान्तरित करें, को विलोपित किया जाए एवं उसके बदले निम्नलिखित वाक्य को जोड़ा जाए –

   न्यास के सभी देय चुकाने के बाद बचे सभी सामान एवं परिसम्पत्ति को किसी ऐसे पंजीकृत जन–कल्याणकारी संस्था को हस्तानतरित किया

क्रमशः 4

Samar Basu Mullick
21.01.08

३०८३

२१.१.०८

२०

०१

अन्तर निबंधक का मोहर



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

01AA 763870

जाएगा। जिनके उद्देश्य इस न्यास के उद्देश्यों के समकक्ष एवं समतुल्य हो।

उपस्थित गवाहों के समक्ष न्यासकर्त्ता अपना हस्ताक्षर कर यह न्यास स्मृति पत्र का संशोधन किया।

गवाह :

1. स्तेफन गुड़िया
21.1.08

Samar Bose Mullick
21.01.2008
न्यासकर्त्ता

2. Xavier Kujur
21.1.08

ड्राफ्टकर्ता : M.N. SHAH Advocate

Certified that the finger Prints of Left hands whose photographs and signature affixed before me.

M.N. SHAH Adv.

टंकक :

३०८३

29.9.02

29

निबंधक का मोहर



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

01AA 763869

Samar Bora Mullick
21.1.08

३०/८३

29.9.08

29

निबंधक का मोहर



(54)

निबंधन विभाग, झारखण्ड

जिला निबंधन कार्यालय, राँची

जाँच पर्चा-सह-घोषणा-प्रपत्र (नियम 114) दिनांक : 21-01-2008

Trust Settler

1. दस्तावेज का प्रकार : Samar Basu Mallick 2. प्रस्तुतकर्त्ता: Hindpiri

3. प्रस्तुतकर्त्ता का नाम व पता : 21-Jan-08

4. लिखने की तारीख : 5. प्रस्तुत करने की तारीख : 21-01-2008 6. कुल पृष्ठ : 14

7. सम्पत्ति का मूल्य : रूपये 8. मुद्रांक का मुल्य : 100 रूपये

10. पार्टी की विवरणी :

पार्टी का प्रकार	पार्टी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति	थाना	ग्राम	जिला
Settler	Samar Basu Mallick	Late Ajit Kumar Basu	Other	Hindpiri	Hindpiri	Ranchi
Trustee	Dr. Ram Dayal Munda	Late Gandarv Munda	Other	Bariatu	Morhabadi	Ranchi
Trustee	Ashok Ghosh Choudhary	Tridewesh Chandra Ghosh	Other	Mangal Nagar	Mangal Nagar	SAHARANPUR
Trustee	Wasvi Kindo	Santosh Kumar Kindo	Other	Lower Bazar	H. B. Road	Ranchi
Trustee	Suryamani Bhagat	Vijay Bhagat	Other	Burmu	Kotari	Ranchi

जिला अवर निबंधक का मोहर
सत्यमेव जयते
राँची (झारखण्ड)

शुल्क का विवरण : अनुच्छेद - A(1) : 40.00 B : 250.00 SP : 210.00 Total : 750.00

उपर्युक्त प्रविष्टियाँ दस्तावेज में अंकित तथ्यों के अनुरुप है।

Samar Basu Mullia

प्रस्तुतकर्त्ता का हस्ताक्षर

निबंधन पूर्व सारांश में इनपुट फॉर्म के अनुरूप डाटा इंट्री की गई है।

Counter05

21/01/08

डाटा इंट्री ऑपरेटर का हस्ताक्षर

उपर्युक्त समर बसु मलिक ने इस दस्तावेज के निष्पादन को मेरे समक्ष स्वीकार किया जिसकी पहचान जेवियर कुजूर पिता विन्सेंट कुजूर निवासी मीढा पेशा प्रा० नौकरी ने की।

Xavier Kujur Samar Basu Mullia

21.01

निबंधन विभाग, झारखंड
राँची (झारखण्ड)

Date: 21/01/20

Token No.:54
Serial No./Deed No./Year : 1084/128/2008
Document Type : TRUST

Role	Name & Address	Father/Husband Name	Occupation	Photograph	Thumb
Identifier	Xavier Kujur Vill. - Bhitha Dist. - Ranchi State - Jharkhand	Binsent Kujur	Pvt Service		
Settler	Samar Basu Mallick Vill. - Hindpiri Dist. - Ranchi State - Jharkhand	Late Ajit Kumar Basu	Social Service		

निबंधित
पुस्तक संख्या IV
जिल्द संख्या 4
पृष्ठ संख्या 13 से 26
दस्तावेज संख्या 128
वर्ष 2008
दिनांक 21/01/2008

जिला अवर निबंधक, राँची (झारखण्ड)


जिला अवर निबंधक का मोहर
राँची (झारखण्ड)


जिला अवर निबंधक का मोहर
रांची (झारखण्ड)